


22 ⁵/₂₄

पत्रावली पेशा हुई। न्यायालय समय
में बार-बार आवेज लगावारी गर्त परन्तु
जापीगण व उतरे आधिपत्या केर्य
उपस्थित नही हुण। लिहाजा फरदण
अदम हाजरी / अदम पैरवी से खारीज
रिप जाह है। पत्रावली कैरल शुका
हा कर गन्व खे रम हो। त्रिपि कुके
न्यायालय से सुनाया गया।




उपस्थान अधिकारी
जिला-राजसमन्द
जिला-राजसमन्द (राज.)

